

'मूल संरचना' का सदिधांत

मूल संरचना का सिद्धांत

- मूलविचार —
 - ◆ जर्मनी का संविधान।
- ऐतिहासिक निर्णय —
 - ◆ केशवानंद भारती मामला, 1973 ('संविधान की मूल संरचना' वाच्यांश का पहली बार प्रयोग किया गया था)।
- मूल संरचना के तत्त्व —
 - ◆ संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ ...

महत्व

- संविधान के केंद्रीय आदर्शों को कमज़ोर करने के लिये एक बहुसंख्यक सरकार की शक्ति को सीमित करता है।

आलोचना

- "मूल संरचना" का भारतीय संविधान में कहाँ भी उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है।
- मूल संरचना के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक शक्ति ग्रहण कर ली है।

Doctrine of Basic Structure

क्रमिक विकास

शंकरी प्रसाद मामला (1951) और सज्जन सिंह मामला (1965)	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति संसद के पास है।
गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967	संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल एक संविधान सभा के पास है; 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971 पेश किया गया।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973	संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढाँचे या आवश्यक विशेषताओं को नहीं बदल सकती है।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, 1975	आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि हुई और 39वें संशोधन अधिनियम (1975) के प्रावधान (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखते हुए) को अमान्य कर दिया गया।
मिनर्व मिल्स बनाम भारत संघ, 1980	मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बीच न्यायिक पुनर्विरोक्ति और सामंजस्य को बुनियादी ढाँचे में जोड़ा गया।
वामन राव बनाम भारत संघ, 1981 मामला	सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तारीख के बाद लागू किये गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होंगा।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, 1992	विधि के शासन को बुनियादी ढाँचे का एक हिस्सा घोषित किया गया।
एस.आर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994	संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सामाजिक न्याय को संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में दोहराया गया।

और पढ़ें...

